

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान,
डब्ल्यू -6 रेजीडेंसी रोड, (गौरव पथ) जोधपुर

क्रमांक एफ3() प्राशिमं/भण्डार/ट्रांसपोर्टेशन / 15/4108 दिनांक: 30.06.15

सीमित निविदा सूचना - 1


प्राविधिक शिक्षा मण्डल, कार्यालय जोधपुर को वार्षिक परीक्षाओं 2015 से सम्बंधित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डलों के परिवहन हेतु निम्न लिखित सेवा प्रदाय करने हेतु पंजीकृत सेवा प्रदायकर्ताओं/एजेंसीयों/ ट्रांसपोर्ट कम्पनीयों से विहित शर्तों के अध्यक्षीन वार्षिक दर संविदा हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

सेवा/विवरण

1. जोधपुर शहर से निविदा शर्तों के परिशिष्ट अनुसार संलग्न विभिन्न जिला मुख्यालय तक एवं जिला मुख्यालय से वापसी हेतु उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल परिवहन कार्य के लिए (समस्त प्रकार के कर, प्रभार लोडिंग, अनलोडिंग, बिल्टी प्रभार को सम्मिलित करते हुए)

निविदादाता अपने प्रस्ताव दिनांक 07.07.15 को अपरान्ह 1.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता को किसी भी निविदा प्रस्ताव को रद्द करने अथवा अस्वीकार्य करने का अधिकार होगा। निविदा की विस्तृत शर्तें कार्यालय में अथवा राज्य सरकार के पोर्टल Sppp.rajasthan.gov.in विभाग की Website techedu.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जा सकती है।



संयुक्त निदेशक एवं सचिव

प्रतिलिपी :-

1. सूचना बोर्ड
2. ट्रांसपोर्ट कम्पनी
3.
4.

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान,
डब्ल्यू -6 रेजीडेंसी रोड, (गौरव पथ) जोधपुर

क्रमांक एफ3() प्राशिमं / भण्डार / ट्रांसपोर्टेशन / 15 / 4108

दिनांक: 30/11/15

ट्रांसपोर्टेशन हेतु जिला मुख्यालय एवं अन्य सम्भावित स्थान:-

s.no.	Name of place
1	Beawar
2	Ajmer
3	Ajmer Crossing, Kuchman City, Makrana
4	Jaipur
5	Jaipur Crossing, Alwar, Dausa, Buandi kui, Chomu, Bharatpur, Sawai Madhopur, Sikar, Jhunjhunu, Pilani, Churu, Sri Madhopur, Kotputly,
6	Balotra
7	Nokha
8	Bikaner, Jaisalmer, Barmer
9	Sumerpur, Shivganj
10	Sirohi,
11	Aburoad, Jalore, Bhinmal
12	Kota
13	Kota Crossing, Jhalawar, Bundi, Ramganj Mandi
14	Udaipur
15	Jaipur Crossing, Chittorgarh, Kapasan, Bhilwara, Pratapgarh, Banswara
16	Shri Ganganagar
17	Shri Ganganagar Crossing, Suratgarh, Hanumangarh, Pilibanga, Karanpur, Raisingnagar
18	Pali, Rajsamand, Karoli, Pratapgarh, Dholpur, Dungarpur, Bara, Nagore, Tonk, Kishangarh,

गुणावे

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

शर्तः-

1. निविदा मे उल्लिखित सामग्री यथा उत्तरपुस्तिका के बंडल सुरक्षित एवं तत्काल परिवहन कार्य हेतु मूलभूत तंत्र स्थापित होना चाहिये। कार्य की संवेदनशीलता एवं गोपनीयता बनाये रखने हेतु निविदादाता वचनबद्ध होगा।
2. निविदादाता उसे मण्डल द्वारा सौपे गये परिवहन कार्य के निष्पादन करने हेतु मण्डल के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी से प्रतिदिन सम्पर्क करेगा एवं दूरभाष संदेशों की पालना में तत्काल परिवहन कार्य सम्पादित करेगा।
3. परिवहन के दौरान किसी उत्तर पुस्तिका के बण्डल के खो जाने पर मण्डल द्वारा नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेंगी।
4. निविदा के सभी प्रपत्र व अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होने चाहिए।
5. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नही होनी चाहिए चदि कोई कटिंग हो तो उस पर लघु हस्ताक्षर अनिवार्य है।
6. निविदा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों पर दी जानी है।
7. न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार करना बाध्यकारी नही है। किसी भी निविदा या उस निविदा के किसी भी भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का सम्पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
8. ठेकेदार /ट्रांसपोर्ट कम्पनी अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नही सौपेगा या सबलेट पर नही करेगा।
9. निविदा फार्म में अंकित दस्तावेज विभाग के मांगने पर मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
- 10.स्वीकृत निविदादाता उनके कर्मचारियों को होने वाली हानियां ,दिये जाने वाले वेतन भत्तों व अन्य प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 11.किसी भी कार्य पर बाल श्रमिक नही लगाया जा सकेगा। कार्य पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
12. किसी भी कानूनी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा।
13. निविदादाता द्वारा की गई सेवाओं का भुगतान आदेशित कार्य की संतोषप्रद समाप्ति पर किया जावेगा। कार्य समाप्ति पर फर्म /निविदादाता बिल तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- 14.स्थानीय नियमों जिसमें श्रमिक कानून भी सम्मिलित है की पालना का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
15. यदि कार्य करते समय वाहन दुर्घटना हो जाती है या उसके कर्मचारियों को चोट लग जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता का होगा।
16. सशर्त निविदा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावेगा।
17. कार्य की आकस्मिकता व समयबद्धता के कारण न्यूनतम स्वीकृत दर पर अन्य निविदादाताओं से भी कार्य करवाया जाना प्रस्तावित किया जा सकता है।
18. ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा परिवहन हेतु सौपी गई सामग्री के बण्डल की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखेगा तथा निर्दिष्ट स्थान पर बण्डल की आपूर्ति मूल जी.आर0 प्राप्त करते हुए करेगा अथवा प्राविधिक शिक्षा मण्डल,राजस्थान जोधपुर द्वारा अधिकृतता पत्र के आधार पर ही करना सुनिश्चित करेगा।
19. सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम (भाग द्वितिय)नियम 68 एस.आर. प्रारूप 16 में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर